राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1144/2009/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, वृत्त–बी, अलवर .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स हाईटेक गियर्स, लि., भिवाड़ी। । .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद्,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :15.01.2014

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत्त–बी, अलवर (जिसे आगे ''सशक्त अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2009 के विरूद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 364/उपा–अल/आर.एस.टी./2000–01/2009 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत् आरोपित शास्ति 1,80,600/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 05.06.2000 को भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में थाना भिवाड़ी के पास वाहन संख्या आर.जे.02/3197 की जांच की गयी । अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने वाहन चालक व माल प्रभारी से पूछताछ करने पर, बयान दिया कि वाहन में लदा माल बम्बई से आया है तथा माल भिवाड़ी के लिये परिवहनीत किया गया है। वाहन में लदे माल ''लोहा रोड्स'' के संबंध में दस्तावेज चाहने पर उक्त को प्रस्तुत करने में असमर्थता जाहिर की गयी यही नहीं अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने माल प्रेषिति के संबंध में जानकारी चाहने पर भी वाहन चालक द्वारा बताने में असफल रहा। अतः अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने उक्त कृत्य को अधिनियम की धारा 78(2)(ए) उल्लंघन मानकर,

लगातार.....2

अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया । नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी की ओर से प्रत्यर्थी की ओर से श्री भरत सिंह, जनरल मैनेजर, ने दिनांक 09.06.2000 को उपस्थित होकर जवाब के साथ इन्वॉयस क्रमांक 001688, 0011687 व 001686 दिनांक 31.05.2000, प्रेषक मैसर्स मुकुन्द लि, मुम्बई, प्रेषिति प्रत्यर्थी व्यवहारी, चालान क्रमांक 001797, मैसर्स यूनियन रोडवेज कॉरपोरेशन द्वारा जारी बिल्टी क्रमांक 3932, 54522 दिनांक 31.05.2000 व घोषणा प्ररूप एस.टी. 18 ए क्रमांक 08/25445 की **छाया प्रतियां** प्रस्तुत कर, माल छोड़ने की प्रार्थना की गयी, जिसे अस्वीकार कर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् शास्ति आदेश पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक भूल की है क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा जो दस्तोवज नोटिस की पालना में प्रस्तुत किये गये हैं वे केवल छाया प्रति हैं यह नहीं मूल दस्तावेज अपीलीय स्तर पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः उक्त के अभाव में आरोपित शास्ति को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यात्मक एवम् विधिक त्रुटि की गयी है। विशिष्टि रूप से कथन किया कि अधिनियम की धारा 78(5) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि वक्त जांच बिल, बिल्टी व घोषणा प्ररूप 18 ए पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। कथन किया कि नोटिस की पालना में प्रस्तुत दस्तावेज पश्चात्वर्ती सोच के तहत् प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य नहीं है। अपने उक्त कथन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मै0 गुलजग इण्ड0 बनाम वा0क0अ0 **18 टैक्स अपडेट 321** के निर्णय को संदर्भित कर उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, पारित अपीलीय आदेश को अविधिक होना प्रकट कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है ।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया

लगातार.....3

कि वाहन में लदा माल "लोहा सरिया (19.960 एमटी.)" विधिक दस्तावेजों के जरिये मुम्बई से भिवाड़ी के लिये परिवहनीत किया जा रहा था जो वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा स्थापित जांच चौकी रतनपुर में विधिक रूप इन्द्राज करवाया जाकर व जांच चौकी की मोहर दस्तावेजों में अंकित करवायी जाकर राज्य में आयातित किया गया था। कथन किया कि उक्त परिवहनीत माल एक्साईज विभाग की स्वीकृति उपरांत एक्साईज एक्ट के नियम 57 एफ (4) के तहत् उक्त वाहन के जरिये ही बिना माल अनलोड कराये ही वजन करवाकर, मैसर्स वैलकन इलैक्ट्रो कन्ट्रोल्स प्रा.लि., भिवाड़ी को जॉब वर्क हेतु एक्साईजेबल मूल चालान के जरिये भेजा गया था जिसकी प्रविष्टि एक्साईजेबल गेट पास क्रमांक 001797 पर दिनांक 05.06.2000 को 12.15 पर दर्ज की गयी है । कथन किया कि माल से संबंधित दस्तावेज अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत कर दिये गये जिन पर रतनपुर जांच चौकी की मोहर अंकित थी प्रस्तुत कर दिये गये थे परन्तु अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को केवल छाया प्रतियां होने के कारण व प्रस्तुत दस्तावेजों को जांच हेतु रोके गये वाहन से संबंधित नहीं होना अवधारित कर, आदेश पारित कर, अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् शास्ति आरोपित की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अपने कथन के समर्थन में (1987) 2 आर.टी.जे.एस. 82 स.वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम् मैसर्स डीलाईट ट्रेडर्स, भीनमाल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन क्रमांक 1147/99 निर्णय दिनांक 05.01.2000, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन क्रमांक 12/2000 निर्णय दिनांक 19.04.2006 व कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत (2009) 17 आर.एस.टी.आर–जे–152 निर्णय दिनांक 31.08.2009 को प्रोद्धरित कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना कर, अपीलीय आदेश की पुष्टि करने का निवेदन किया गया ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी की ओर से अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के तहत् विधिक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे जो माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 124 एस. टी.सी. 611 डी.पी.मेटल्स व अन्य में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में,

लगातार.....4

अधिनियम की धारा 78(2)(ए) की पूर्णतः पालना होना पायी जाती है। इस संबंध में प्रस्तुत दस्तोवजों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि परिवहनीत माल राज्य में जांच चौकी रतनपुर पर इन्द्राज होने के पश्चात् आया है, जिनकी अग्रिम जांच कर दस्तावेजों को झूठा साबित करने का भार अपीलार्थी पर था, जो पूरा नहीं किया गया है । अतः विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखा जाकर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया ।

15.1.2014

(मदन लाल)

सदस्य